बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषय :– आत्म निर्भर बिहार की सात निश्चय–2 के अन्तर्गत नगर परिषद, गोपालगंज क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू०) मात्र की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने के संबंध में।

नगर परिषद, गोपालगंज क्षेत्र में जल जमाव की समस्या के कारण शहरवासियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उक्त समस्या के समाधान हेतु स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का कार्यान्वयन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु बुडको द्वारा गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराया गया, जिसके अंतर्गत नगर परिषद, गोपालगंज क्षेत्रान्तर्गत नाला निर्माण किया जाना है। योजना के कार्यान्वयन से नगर परिषद, गोपालगंज क्षेत्र में जल जमाव की समस्या का समाधान हो सकेगा।

2. विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–13.03.2025 को शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के तहत वित्त पोषण हेतु सम्पन्न Project Screening Committee की बैठक में गोपालगंज स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. योजना के लिए कुल स्वीकृत राशि ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू०) मात्र का व्यय में से बाह्य सम्पोषित योजना (राष्ट्रीय आवास बैंक) द्वारा संपोषित UIDF अन्तर्गत मद द्वारा ₹46.2825 करोड़ (छियालिस करोड़ अठाईस लाख पचीस हजार रू०) मात्र एवं अवशेष राशि राज्य योजना मद (स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना सात निश्चय–2) से किया जायेगा। राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नवत् है –

(राशि लाख में)

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	वर्षवार व्यय की जाने वाली कुल राशि
1	2025–26	1000.00
2	2026–27	2500.00
3	2027–28	2670.77499
	Total	**6170.77499**

4. प्रस्तावित स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना पर व्यय बाह्य सम्पोषित योजना (राष्ट्रीय आवास बैंक) द्वारा संपोषित UIDF के तहत अधिकतम 75 प्रतिशत की राशि एवं शेष राशि का व्यय राज्य योजना मद से किया जायेगा। योजनान्तर्गत राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों से वर्त्तमान एवं आगामी वित्तीय वर्षों में की जायेगी :–

i) मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 107–मल–जल सेवाएँ, उपशीर्ष–0104–स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम एन0एच0बी0 पोषित– विपत्र कोड–**48-2215021070104**, विषय शीर्ष–0104.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण।

ii) मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई, लघु शीर्ष–107–मल–जल सेवाएँ, उपशीर्ष–0101–स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–**48-2215021070101**, विषय शीर्ष–0101.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण।

iii) मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0103–स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2, विपत्र कोड– **48-2215027890103**, विषय शीर्ष–0103.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण।

iv) मांग संख्या–48 मुख्य शीर्ष– 2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उपमुख्य शीर्ष–02–मल–जल तथा सफाई, लघु शीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0105–स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–**48-2215027960105**, विषय शीर्ष–0105.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों का निर्माण।

5. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक–16.05.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या–42 के रूप में इस पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

6. अतः उक्त के आलोक मे आत्मनिर्भर बिहार की सात निश्चय–2 के अंतर्गत नगर परिषद, गोपालगंज क्षेत्रान्तर्गत जल निकासी के लिए कुल ₹6170.77499 लाख (एकसठ करोड़ सत्तर लाख सतहत्तर हजार चार सौ निन्यानवे रू०) मात्र की लागत पर गोपालगंज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(अभय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०(योजना SWD)- 04/2025 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (ई–गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–01/स्था०(योजना SWD)- 04/2025 5885/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–23/05/25

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार, बिहार/सभी विभागीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/25
सरकार के सचिव।